रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 215] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 1972/वैशाख 1, 1894

No. 215] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 1972/VAISAKHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग सकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME TAX AND WEALTH TAX

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1972.

S.O. 308(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 80L and clause (iib) of the proviso to section 193, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and clause (xxiv) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby specifies the debentures issued by the State Electricity Boards, constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), between the 1st March, 1972 and the 31st March, 1974, in pursuance of any scheme for raising resources in rural areas, for the purposes of the said clauses:

Provided that such debentures satisfy the following conditions, namely—

(i) they are not guaranteed by any Government as to the repayment of the principal or payment of interest;

(ii) they are issued initially only to individuals;

(iii) they are issued subject to the condition that for a period of one year from the date of issue, they cannot be transferred to any person other than an individual; and

(iv) they carry interest at a rate not exceeding 7½% per annum.

[No. 80/No. F. 167/36/72-IT(AI).]

M. B. PALEKAR, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

आयकर और धनकर

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1972

का० आ० 308(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की, धारा 80ठ की उपधारा (1) के खण्ड (ii), और धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (ii)(ख), और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (XXIV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा, उक्त खंडों के प्रयोजनों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में साधन जुटाने से सम्बद्ध किसी स्कीम के अनुसरण में, 1 मार्च, 1972 और 31 मार्च, 1974 के बीच पुरोधृत किए जाने वाले डिबेंचरों को एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तु यह तब जबकि ऐसे डिबेंचर निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों, अर्थात् :—

(1) उनके मूलधन के प्रतिसंदाय या ब्याज के संदाय के बारे में किसी सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो;

(2) वे प्रारम्भिक रूप से केवल व्यष्टियों को पुरोधृत किए गए हों;

(3) वे इस शर्त के अधीन पुरोधृत किए गए हों कि वे पुरोधृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति को अन्तरित नहीं किए जा सकते ; और

(4) उन पर 7½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक ब्याज नहीं मिलेगा ।

[सं० 80/सं० फा० 167/36/72-आई टी (ए-1)]

एम० बी० पालेकर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972